रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-07062024-254614 CG-DL-E-07062024-254614

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] No. 408] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 7, 2024/ज्येष्ठ 17, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 7, 2024/JYAISHTHA 17, 1946

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2024

सं.-एन-10/12/2013-पीपीसी /पीबीआरबी.—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उप-धारा (2) एवं धारा 11 की उप-धारा (5) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (ग) व (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निगम एतद्वारा प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (विरष्ठ प्रशासिनक एवं संबद्ध पदों) भर्ती विनियमों, 2021, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (1) इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ प्रशासनिक एवं संबद्ध पदों) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) (वरिष्ठ प्रशासनिक एवं संबद्ध पदों) भर्ती विनियमों, 2021, की अनुसूची में :-
- (i) उप निदेशक प्रशासन (मुख्यालय) के पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने, कॉलम 11 के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

3444 GI/2024 (1)

"प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध अथवा आमेलन सहित)

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी. -

- (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; या
 - (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 (56100-177500 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हों; या
- (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल -9 (53100-167800 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद सात साल की सेवा पूरी कर चुके हों; या
- (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल -8 (47600-151100 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद आठ साल की सेवा पूरी कर चुके हों; और
- (ख) सामान्य प्रशासन, स्थापना, मानव संसाधन विकास और कार्मिक या कर्मचारी मामलों, नकदी, खातों और बजट कार्य, कर्मचारी संघों या यूनियनों, स्टोर प्रबंधन और इन्वेंट्री नियंत्रण, सुरक्षा और सतर्कता में तीन साल का अनुभव रखने वाले हों।
- नोट 1: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- नोट 2: प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।
- नोट 3: आमेलन के लिये केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों पर विचार किया जाएगा।",
- (ii) उप निदेशक प्रशासन (क्षेत्रीय कार्यालय) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने, कॉलम 11 के अंतर्गत प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-
- "पदोन्नति: लेखा निरीक्षक या वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लेवल-8 (47600-151100 रुपये) वेतन मैट्रिक्स में आठ साल की नियमित सेवा के साथ ।
- नोट 1: जहां पर किनष्ठ जो अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके हैं और पदोन्नति के लिए विचाराधीन हैं वहाँ उनके वरिष्ठ भी विचारणीय होंगे, बशर्ते उन की अहर्क अथवा पात्रता सेवा में कमी अपेक्षित अहर्क अथवा पात्रता सेवा की आधी अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से अधिक न हो एवं जिन्होंने अगली ग्रेड में पदोन्नति के लिए उनके किनष्ट जिनकी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी है के साथ परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- नोट 2: इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पहले नियमित आधार पर फीडर पदों पर रहने वाले पदधारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड ऐसी तारीख से पहले मौजूदा नियमों द्वारा शासित होंगे।
- "प्रतिनियुक्ति"(अल्पकालिक अनुबंध सहित):

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासनों, स्वायत्त निकायों अथवा सांविधिक संगठनों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी :

- (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर हो; या
 - (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल -10 (56100-177500 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद पांच साल की सेवा पूरी कर चुके हों; या

- (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल -9 (53100-167800 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद सात साल की सेवा पूरी कर चुके हों; या
- (iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स लेवल -8 (47600-151100 रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर पद नियुक्ति के बाद आठ साल की सेवा पूरी कर चुके हों; और
- (ख) सामान्य प्रशासन, स्थापना, मानव संसाधन विकास और कार्मिक या कर्मचारी मामलों, नकदी, खातों और बजट कार्य, स्टोर प्रबंधन और इन्वेंट्री नियंत्रण, कर्मचारी संघों या यूनियनों, सुरक्षा और सतर्कता में तीन साल का अनुभव रखने वाले हों।
- नोट 1: इस नियुक्ति से तत्काल पूर्व किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में प्रतिनियुक्ति की अवधि (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी
- नोट 2: प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।"

राजेश जैन, अपर महानिदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./177/2024-25]

नोट: प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 10 सितंबर, 2021 को अधिसूचना संख्या एन-10/12/2013-पीपीसी/पीबीआरबी, दिनांक 10 सितंबर, 2021 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2024

- **No. N-10/12/2013-PPC/PBRB.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 and sub-section (5) of section 11 read with clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 33 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the corporation hereby makes the following regulations to amend the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Administrative and Allied posts) Recruitment Regulations, 2021, namely:-
- **1. Short title and Commencement.-** (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Administrative and Allied Posts) Recruitment (Amendment) Regulations, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Administrative and Allied posts) Recruitment Regulations, 2021, in the Schedule,-
- (i) against serial number 1, relating to the post of Deputy Director of Administration (Headquarters), for the entries under column 11, the following entries shall be substituted, namely:-
- "Deputation (including short-term contract or absorption):
- Officers of the Central Government, State Governments, Union territories Administrations, autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings,-
- (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or
- (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or
- (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and

- (b) possessing three years' experience in general administration, establishment, human resource development and personnel or staff matters, cash, accounts and budget work, staff associations or unions, stores management and inventory control, security and vigilance.
- **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not be exceeding three years.
- **Note 2:** The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.
- Note 3: The Central Government or State Government officers shall only be considered for absorption.",
- (ii) against serial number 2, relating to the post of Deputy Director of Administration (Field Offices), for the entries under column 11, the following entries shall be substituted, namely: -
- "Promotion: Inspector of Accounts or Senior Administrative Officer in level- 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix with eight years' regular service in the grade after appointment thereto.
- **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered, their seniors would also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
- **Note 2:** Eligibility criteria for promotion of incumbents holding the feeder posts on regular basis prior to the date of publication of this notification shall continue to be governed by the regulations as existing prior to such date.

Deputation (including short-term contract):

Officers of the Central Government, State Governments, Union territory administrations, autonomous bodies or statutory organisations or public sector undertakings,-

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or
- (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-9 (Rs.53100-167800) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; or
- (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-8 (Rs. 47600-151100) in the pay matrix or equivalent, in the parent cadre or department; and
- (b) possessing three years' experience in general administration, establishment, human resource development and personnel or staff matters, cash, accounts and budget work, stores management and inventory control, staff associations or unions, security and vigilance.
- **Note 1:** The period of deputation (including the period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or department of the Central Government shall ordinarily not be exceeding three years.
- **Note 2:** The maximum age limit for deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.".

RAJESH JAIN, Addl. Director General [ADVT.-III/4/Exty./177/2024-25]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4, dated the 10th September, 2021, vide notification number N-10/12/2013-PPC/PBRB, dated the 10th September, 2021.